संख्या- 28/2020/1137-प्रो0/51-2020-14(11)/2018

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ०प्र० शासन।

प्रोटोकाल अनुभाग (मुख्य मंत्री कार्यालय) लखनऊ : दिनांकः 21 जुलाई, 2020

विषयः अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में प्रवास करने वाले राज्य अतिथिगणों के सेवा सत्कार/भोजन आदि पर व्यय हेतु रू० 39,309/- धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रोटोकाल अनुभाग के शासनादेश संख्या 938-प्रो0/51-2020-14(11)/2018, दिनांक 27-03-2020 द्वारा आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आहरित न हो सकने के कारण उक्त शासनादेश निरस्त करते हुए आपके पत्र संख्या- एम-1525/32-3-20-12/2011 टी सी., दिनांक 26-05-2020 एवं पत्र संख्या. एम-2294/32-3-2020-12/2011 टी.सी., दिनांक 26-06-2020 द्वारा उक्त व्यपगत धनराशि पुनः चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जाने संबंधी प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनाक 26-06-2020 के साथ संलग्न अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में प्रवास करने वाले राज्य अतिथिगण के भोजनादि से सम्बन्धित संलग्न विवरण के अनुसार 38 देयकों के व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 39,309-00 (रूपया उन्तालिस हजार तीन सौ नौं मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना / सम्बन्धित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर प्रोटोकाल अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है । उक्त से सम्बन्धित 38 देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अजुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाए-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 28/2020/1137 (1)प्रो०/51-2020-14(11)/2018, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3।
5. व्यवस्थाधिकारी, अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 1137 (1) प्रो0/51-2020-14(11)/2018, दिनांक जुलाई, 2020 का संलग्नक

क्रमांक	राज्य अतिथि का नाम एवं पदनाम	देयक संख्या	देयक की तिथि	व्यय हुई धनराशि
1	सुश्री संगीता सक्सेना, निदेशक, वाणिज्य उद्योग, भा/स	594	08-08-2019	493-00
2	श्री सुधांशु पाण्डेय, अपर सचिव, भा/स	595	08-08-2019	504-00
3	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	596	10-08-2019	1616-00
4	ए०डी०सी० महामहिम श्री राज्यपाल, मध्य प्रदेश	597	22-08-2019	1437-00
5	सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भा/स	598	23-08-2019	295-00
6	श्री अमित खरे, सचिव, भा/स	599	24-08-2019	578-00
7	श्री राम शंकर कठेरिया, मा० अध्यक्ष, रा० अनु०जाति आयोग	600	28-08-2019	2399-00
8	श्री एस० सुरेश कुमार, अपर सचिव, भा/स	601	29-08-2019	298-00
9	श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्या, मा० मंत्री, असम सरकार	602	30-08-2019	837-00
10	श्री प्रताप चन्द्र सारंगी, मा० राज्य मंत्री, भा/स	603	30-08-2019	299-00
11	डॉ० वी०के० सिंह, मा० राज्य मंत्री, भा/स	604	31-08-2019	287-00
12	सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भा/स	605	04-09-2019	286-00
13	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	606	05-09-2019	1913-00
14	श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	607	07-09-2019	2255-00
15	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	608	08-09-2019	289-00
16	श्री रवीन्द्र पवार, सचिव, भा/स	609	08-09-2019	291-00
17	श्री सन्तोष गंगवार, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्व० प्रभार), भा/स	610	09-09-2019	1196-00
18	श्री रामदास अठावले, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भा/स भा/स	611	10-09-2019	2302-00
19	श्री विवेक जोशी, भा/स	612	13-09-2019	895-00
20	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	613	18-09-2019	2312-00
21	श्री सुभाष चन्द्रा, सचिव, भा/स	614	18-09-2019	299-00
22	श्री वरूण मित्रा, अपर सचिव, भा/स	615	18-09-2019	299-00
23	श्री चन्द्राकर भारती, संयुक्त सचिव, भा/स	616	18-09-2019	289-00
24	श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	617	20-09-2019	866-00
25	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	618	22-09-2019	3032-00
26	सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भा/स	619	22-09-2019	294-00
27	श्री सन्तोष गंगवार, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्व० प्रभार), भा/स	620	22-09-2019	1152-00
28	सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भा/स	621	22-09-2019	284-00
29	श्री अमृत लुगुन, अपर सचिव, भा/स	622	06-10-2019	859-00
30	श्री शशांक विक्रम, निदेशक (ओ०आई०ए०-1), भा/स	623	06-10-2019	751-00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31	न्याय० श्री मिहिर कुमार झा, मा० सदस्य, (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार	624	11-10-2019	3582-00
32	सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भा/स	625	11-10-2019	269-00
33	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	626	13-10-2019	2038-00
34	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, भा/स	627	19-10-2019	2144-00
35	श्री नीरज कुमार गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त, नयी दिल्ली।	628	22-10-2019	294-00
36	श्री राम शंकर कठेरिया, मा० अध्यक्ष, रा० अनु०जाति आयोग	629	26-10-2019	1186-00
37	सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भा/स	630	31-10-2019	296-00
38	श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव, भा/स	631	31-10-2019	593-00
कुल योग				39,309-00

(रूपया उन्तालिस हजार तीन सौं नौं मात्र)

अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।